न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) बांसवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी – नरेश बुनकर, RAS

अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 11/2022
रजिस्ट्रेशन नं. :2022/15

राजस्थान राज्य जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बॉसवाडा (राज)	बनाम	अभियुक्त :– 1. श्री भावेश जैन पुत्र श्री कुन्तीलाल मैसर्स ऋषभदेव एण्टरप्राईजेज, पारस हॉटल के सामने, मोहन कॉलोनी, बॉसवाडा 2. Bharat bhai Deshabhai Khimsuriya M/s Krishna Trading & Co., Jamnagar Rajkot Highway, Nr Falla Village, Ravani Khijadiya, Jamnagar (Gujarat)

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम 2011

दिनांक 25.04.2022

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि श्री दिलीप सिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बॉसवाडा (राज.) के द्वारा दिनांक 29–03–2022 को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक 19–10–2021 को 12.15 पी.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थो की जॉच हेतु **ऋषभदेव एण्टरप्राईजेज**, पारस हॉटल के सामने, मोहन कॉलोनी, बॉसवाडा पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर **श्री भावेश जैन पुत्र श्री कुन्तीलाल** उपस्थित थे। विक्रेता की दुकान का निरीक्षण करने पर **Inter Esterified Veg.Fat (Brand- Sahyog)** के 54 पैक टीन (प्रत्येक टीन 500–500 एम.एल के) आम जनता को विक्रय हेतु पाया। इसमें मिलावट का शक होने पर विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फार्म नं.5ए पर पर सूचना देते हुए **आम जनता को बिक्री हेतु रखा Inter Esterified Veg.Fat (Brand- Sahyog)** के चार पैक टीन वास्ते नमुना जॉच हेतु खरीदा तथा इनकी कीमत 400 रु. विक्रेता को [illegible] की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये [illegible] जॉच हेतु खरीदशुदा **Inter Esterified Veg.Fat (Brand- Sahyog)** के चार टीन को नियमानुसार सील बन्द किया। उक्त नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति आउटकवर में सील बन्द

Signature Not Verified
Digitally signed by Ankit Kumar Singh
Date: 2022.04.28 09:55:11 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी,
(अति.जिला कलक्टर),
बांसवाड़ा (राज.)

कर सील मोहर कर जांच हेतु अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा को जमा करवाया।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2021/263-264 दिनांक 29.11.2021 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 220 दिनांक 01.11.2021 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया **Inter Esterified Veg.Fat (Brand- Sahyog)** का नमुना अमानक व मिथ्याछाप Sub-standard food under section 3(1)(ZX) of food safety and standards Act 2006 and violate food safety & standards (Packaging and Labelling) Regulation 2011, hence it is declare Misbranded also under section 3(1)(zf) of food safety and standerds act 2006 पाया गया। विक्रेता द्वारा **Inter Esterified Veg.Fat (Brand- Sahyog)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 व धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 29-03-2022 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपी को जरिये समन तलब किया गया।

दिनांक 25.04.2022 को अभियुक्तगणो ने न्यायालय में उपस्थित होकर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अपना अपराध स्वीकार कर निवेदन किया कि न्यायालय जो भी जुर्माना करे, वह स्वीकार है। प्रकरण में आरोपी द्वारा अपराध स्वीकार कर लेने के कारण अन्य किसी साक्ष्य की अब आवश्यकता नहीं रहती है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अभियुक्तगणो को सुना। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का भी गहनता पूर्वक अवलोकन किया एवं उस पर मनन किया। अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2021/263-264 दिनांक 29.11.2021 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 220 दिनांक 01.11.2021 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया **Inter Esterified Veg.Fat (Brand- Sahyog)** का नमुना अमानक व मिथ्याछाप Sub-standard food under section 3(1)(ZX) of food safety and standards Act 2006 and violate food safety & standards (Packaging and Labelling) Regulation 2011, hence it is declare Misbranded also under

Signature Not Verified
Digitally signed by Ankit Kumar Singh
Date: 2022.04.28 09:55:11 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

section 3(1)(zf) of food safety and standerds act 2006 पाया गया है। प्रकरण में अभियुक्तगण द्वारा स्वयं अपराध स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में अब किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतित नही होती हैं। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(ZX) के तहत सबस्टैण्डर्ड एवं धारा 3(1)(zf) के तहत मिसब्राण्डेड **Inter Esterified Veg.Fat (Brand- Sahyog)** को विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया। जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 व धारा 52 का उल्लंघन किया है आरोपीगणो को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर **श्री भावेश जैन पुत्र श्री कुन्तीलाल मैसर्स ऋषभदेव एण्टरप्राईजेज, पारस हॉटल के सामने, मोहन कॉलोनी, बॉसवाडा को रूपये 15,000/– (अक्षरे रू पन्द्रह हजार मात्र)**, Bharat bhai Deshabhai Khimsuriya M/s Krishna Trading & Co., Jamnagar Rajkot Highway, Nr Falla Village, Ravani Khijadiya, Jamnagar (Gujarat) **को रूपये 20,000/– (अक्षरे रू बीस हजार मात्र)** के अर्थ दण्ड से दण्डित किया जाता है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800–अन्य प्राप्तियां, (03)–खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा–पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बॉसवाडा आरोपी को जुर्माना राशि का चालान जमा कराने पाबंद करे तथा जमा राशि का चालान प्राप्त कर प्रति इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 25.04.2022 खुले न्यायालय सुनाया गया।

(नरेश बुनकर)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति0 जिला कलेक्टर)
बांसवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ankit Kumar Singh
Date: 2022.04.28 09:55:11 IST
Reason: SelfAttested